(वाद सं0.-749/4/5/2023)

31.10.2023

प्रसंगाधीन मामला, स्वर्गीय सूरज नारायण दास, सहायक लेखापाल, बिहार स्टेट बिवरेजेज कॉरपोरेशन लि0 के उपरोक्त कॉरपोरेशन में दिनांक–16.10.2008 से 05.09.2017 तक के प्रतिनियुक्ति अवधि का छठे वेतन पुनरीक्षण वेतनमान का बकाया राशि, Leave Encashment व उपादान की राशि का उसकी पुत्री, रिमझिम कुमारी, को भुगतान करने से संबंधित मृत्तक कर्मचारी की पत्नी, सुनैना देवी के परिवाद से संबंधित है।

उक्त पर **महाप्रबंधक, बिहार स्टेट बिवरेजेज कॉरपोरेशन लि0, पटना** से प्रतिवेदन की मांग की गई। **महाप्रबंधक (मा0सं0 एवं प्रशा0), बिहार स्टेट बिवरेजेज कॉरपोरेशन लि0, पटना** के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि स्व0 सूरज नारायण दास, मूल रूप से भागलपुर स्पीनिंग मिल्स के कर्मी थे तथा बिहार स्टेट बिवरेजेज कॉरपोरेशन लि0 मे वह दिनांक–16.10.2008 से 05.09.2017 तक कार्यरत रहे। मृत्तक कर्मचारी के परिवार के बीच पारिवारिक विवाद के कारण उनके उपरोक्त अवधि के बकाया राशि का भुगतान लंबित रहा क्योकि मृत्तक कर्मचारी के वास्तविक उत्तराधिकारी की संपुष्टि नहीं हो पा रही थी। बाद में मृत्त कर्मचारी के पत्नी एवं पुत्री द्वारा उपरोक्त बकाया राशि के भुगतान हेतु सुलहनामा दाखिल किया गया जिसके आधार पर मृत्त कर्मचारी के बकाया राशि के भुगतान की कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गई।

उपरोक्त पर परिवादी से प्रत्युत्तर की मांग की गई। मृत्त कर्मचारी की पत्नी (परिवादी, सुनैना देवी) व उसके दो पुत्रों एवं दो पुत्रियों के ओर से एक संयुक्त

आवेदन इस आशय का दिया गया है कि उनके बीच पारिवारिक विवाद, का समाधान हो गया है तथा इस सम्बन्ध में हुए सुलहनामा आधार पर उनलोगो को बराबर–बराबर राशि का भुगतान किया जा चुका है। उन पांचों की ओर से प्रसंगाधीन परिवाद को राज्य आयोग के स्तर से समाप्त करने का अनुरोध भी किया गया है।

अब जबकि परिवादी के शिकायत का संतोषजनक समाधान हो चुका है तो ऐसी परिस्थिति में परिवादी के अनुरोध को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को राज्य आयोग के स्तर से **संचिकास्त** किया जाता है।

तद्नुसार , आज पारित आदेश की प्रति संलग्न करते हुए **परिवादी** को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

<u>संयुक्त सचिव</u>